

राजस्थान सरकार

सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

आई.टी. भवन , योजना भवन परिसर , तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर

क्रमांक :-एफ.2(4085) डी.ओ.आई. टी./संस्था /14/ ML- 37

जयपुर दिनांक 19-02-14

अनापत्ति प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि राजस्थान कम्प्यूटर अधिनस्थ सेवा के सुश्री सुमन चौधरी, सूचना सहायक (परिवीक्षाधीन) को दिनांक 04.01.2014 को IBPS CWE PO/MT-3 के साक्षात्कार परीक्षा में सम्मिलित होने की स्थिति में इस विभाग को कोई आपत्ति नहीं है।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

— sd —
(जसवंत सिंह चौधरी)
कार्यालयाध्यक्ष

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है :-

1. विशेषाधिकारी, राजस्थान मेडीकल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमि. बीकानेर।
2. सुश्री सुमन चौधरी, सूचना सहायक राजस्थान मेडीकल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमि. बीकानेर।
3. संबंधित निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।


कार्यालयाध्यक्ष

राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

क्रमांक :-प.2(1302) डी.ओ.टी./संस्था/12/ML-41

जयपुर दिनांक 19.2.19

अनापत्ति प्रमाण पत्र

श्री सौरभ शर्मा, सूचना सहायक जो कि जिला उद्योग केन्द्र, जयपुर (शहर), को एस एस सी सी.जी.एल. 2014 की परीक्षा में सम्मिलित होने की स्थिति में इस विभाग को कोई आपत्ति नहीं है।

उक्त प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति श्री सौरभ शर्मा, सूचना सहायक को निर्देशानुसार निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

1. परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
2. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी से राजसेवक दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा अन्यथा स्वीकृति समाप्त कर दी जाएगी।
3. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
4. प्रशासनिक कारणोंवश प्रतियोगी की परीक्षा हेतु स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।


(जसवन्त सिंह चौधरी)
कार्यालयाध्यक्ष

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है।

1. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र जयपुर(शहर)।
2. श्री सौरभ शर्मा, सूचना सहायक, जिला उद्योग केन्द्र जयपुर(शहर)।
3. निजि/रक्षित पत्रावली।


कार्यालयाध्यक्ष

अनापत्ति प्रमाण पत्र

सुश्री नवजौत कौर, सूचना सहायक, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अलवर (राजस्थान) को सुरेश ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी, जयपुर से MCA (V & VIth Sem. Exam) की नियमित परीक्षा में सम्मिलित होने की स्थिति में इस विभाग को कोई आपत्ति नहीं है।

उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति सुश्री कौर को निर्देशानुसार निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

1. शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय यदि कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त मानी जाएगी।
2. कर्मचारी का पदस्थापन अध्ययन स्वीकृति संस्थान के मुख्यालय से परिवर्तन/स्थानान्तरित हो जाता है तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त हो जाएगी।
3. कर्मचारी को प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में उत्तीर्ण की गयी परीक्षा की सत्यापित अंकतालिका परीक्षा परिणाम घोषित होने के 30 दिवस में उचित माध्यम से इस विभाग को प्रेषित करनी होगी।
4. परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
5. अध्ययन स्वीकृत दिये जाने से कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार नहीं मिल पाएगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।
6. अध्ययन से राजसेवक दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा अन्यथा स्वीकृति समाप्त कर दी जाएगी।
7. अध्ययन वर्ष में कर्मचारी की उपस्थिति का प्रतिशत कम होने पर उसकी पूर्ति हेतु सरकार/विभाग द्वारा किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
8. प्रशासनिक कारणों से अध्ययन परीक्षा हेतु स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।
9. परीक्षा के दिवसों में उपभोग किए गए अवकाश नियमानुसार जिस श्रेणी में आवेदित किए गए हों, के अनुसार उचित स्तर पर स्वीकृति हेतु भिजवाने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित विभाग की होगी।
10. उपरोक्त कर्मचारी द्वारा किए जा रहे अध्ययन के संस्थान/विश्वविद्यालय या पाठ्यक्रम की मान्यता से इस विभागीय स्वीकृति का सीधे तौर पर कोई सम्बन्ध नहीं होगा।

— sd —

(जसवंत सिंह चौधरी)
कार्यालयध्यक्ष

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अलवर (राजस्थान)।
2. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सामु. स्वा. केन्द्र थानागाजी, अलवर (राजस्थान)
3. सुश्री नवजौत कौर, सूचना सहायक, सामु. स्वा. केन्द्र थानागाजी, अलवर (राजस्थान)।
4. संबंधित निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

कार्यालयध्यक्ष

राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

क्रमांक :-प.2(1561) डी.ओ.आई.टी./संस्था/13/II/16510/2014

जयपुर दिनांक 20-2-14

अनापत्ति प्रमाण पत्र

श्रीमति कविता जैन, सूचना सहायक, कार्यालय उपनिदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग, कोटा को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा आयोजित नेट परीक्षा-2013 में सम्मिलित होने की स्थिति में इस विभाग को कोई आपत्ति नहीं है।

उक्त प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति श्रीमति जैन, सूचना सहायक को निर्देशानुसार निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

1. परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
2. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी से राजसेवक दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा अन्यथा स्वीकृति समाप्त कर दी जाएगी।
3. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
4. प्रशासनिक कारणोंवश प्रतियोगी की परीक्षा हेतु स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।

— sd —
(जसवन्त सिंह चौधरी)
कार्यालयाध्यक्ष

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है।

1. कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, कोटा।
2. श्रीमति कविता जैन, महिला एवं बाल विकास विभाग, कोटा।
3. निजी/रक्षित पत्रावली।


कार्यालयाध्यक्ष

सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

क्रमांक :-प.2(1093) डी.ओ.आई.टी./संस्था/12/16512/2014 जयपुर दिनांक 20-11-14

अनापत्ति प्रमाण पत्र

श्री अनुपम दीक्षित, सूचना सहायक, कार्यालय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, भरतपुर को राजस्थान नगर पालिका (अधिनस्थ एवं मंत्रालयिक) सेवा चयन, आयोग द्वारा आयोजित सहायक प्रोग्रामर प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होने की स्थिति में इस विभाग को कोई आपत्ति नहीं है।

उक्त प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति श्री दीक्षित, सूचना सहायक को निर्देशानुसार निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

1. परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
2. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी से राजसेवक दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा अन्यथा स्वीकृति समाप्त कर दी जाएगी।
3. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
4. प्रशासनिक कारणोंवश प्रतियोगी की परीक्षा हेतु स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।

— sd —
(जसवन्त सिंह चौधरी)
कार्यालयाध्यक्ष

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है।

1. उपनिदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, भरतपुर।
2. श्री अनुपम दीक्षित, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, भरतपुर।
3. निजी/रक्षित पत्रावली।

—
कार्यालयाध्यक्ष

राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

क्रमांक :-प.2(1180) डी.ओ.आई.टी./संस्था/12/1/6515/2014

जयपुर दिनांक 20.02.2014

अनापत्ति प्रमाण पत्र

श्री गौरव भाटिया, सूचना सहायक, कार्यालय जिला उद्योग केन्द्र, जयपुर (ग्रामीण) को SSC CGL-2014 में सम्मिलित होने की स्थिति में इस विभाग को कोई आपत्ति नहीं है।

उक्त प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति श्री भाटिया, सूचना सहायक को निर्देशानुसार निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

1. परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
2. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी से राजसेवक दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा अन्यथा स्वीकृति समाप्त कर दी जाएगी।
3. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
4. प्रशासनिक कारणोंवश प्रतियोगी की परीक्षा हेतु स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।

— sd —
(जसवन्त सिंह चौधरी)
कार्यालयाध्यक्ष

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है।

1. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, जयपुर(ग्रामीण)।
2. श्री गौरव भाटिया, जिला उद्योग केन्द्र, जयपुर(ग्रामीण)।
3. निजी/रक्षित पत्रावली।


कार्यालयाध्यक्ष

राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

कंमाक :-प.2(1154) डी.ओ.आई.टी./संस्था/12/1/16514/2014

जयपुर दिनांक 20.02.2014

अनापत्ति प्रमाण पत्र

श्री चन्द्रवीर सिंह, सूचना सहायक, कार्यालय जिला परिवहन अधिकारी, डूंगरपुर को राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित लेखाकार एवं कनिष्ठ लेखाकार संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा-2013 एवं शीघ्र लिपिक संयुक्त प्रतियोगी टंकण परीक्षा-2011 में सम्मिलित होने की स्थिति में इस विभाग को कोई आपत्ति नहीं है।

उक्त प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति श्री सिंह, सूचना सहायक को निर्देशानुसार निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

1. परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
2. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी से राजसेवक दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा अन्यथा स्वीकृति समाप्त कर दी जाएगी।
3. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत, नहीं किया जावेगा।
4. प्रशासनिक कारणोंवश प्रतियोगी की परीक्षा हेतु स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।

— sd —

(जसवन्त सिंह चौधरी)
कार्यालयाध्यक्ष

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है।

1. जिला परिवहन अधिकारी, कार्यालय जिला परिवहन अधिकारी, डूंगरपुर।
2. श्री चन्द्रवीर सिंह, कार्यालय जिला परिवहन अधिकारी, डूंगरपुर।
3. निजी/रक्षित पत्रावली।


कार्यालयाध्यक्ष

राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

क्रमांक :-प.2(1117) डी.ओ.आई.टी./संस्था/12/I/16623/2014

जयपुर दिनांक 21.02.2014

अनापत्ति प्रमाण पत्र

श्री प्रकाश मोटिश, सूचना सहायक, कार्यालय पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान अजमेर को राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित वरिष्ठ अध्यापक ग्रेड-द्वितीय में सम्मिलित होने की स्थिति में इस विभाग को कोई आपत्ति नहीं है।

उक्त प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति श्री मोटिश, सूचना सहायक को निर्देशानुसार निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

1. परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
2. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी से राजसेवक दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा अन्यथा स्वीकृति समाप्त कर दी जाएगी।
3. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
4. प्रशासनिक कारणोंवश प्रतियोगी की परीक्षा हेतु स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।

— sd —
(जसवन्त सिंह चौधरी)
कार्यालयाध्यक्ष

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है।

1. अतिरिक्त महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान, अजमेर।
2. श्री प्रकाश मोटिश, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान, अजमेर।
3. निजी/रक्षित पत्रावली।

de
कार्यालयाध्यक्ष